| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 104/16<br>शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुये |
|---|---|---|
| 17.7.2019 | वकील उभयपक्ष पक्ष उपस्थित। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 11.11.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक एतराज पर वकील उभयपक्ष को सुना गया।<br><br>वकील रैस्पोडेन्ट का कहना है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार हिण्डौन के आदेश दिनांक 4.8.2016 के विरूद्ध अदालत हाजा में पेश की है। इसी अपीलाधीन आदेश 4.8.2016 की अपील पूर्व में जिला कलक्टर करौली के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। चूंकि एक ही आदेश की अपील दो न्यायालयों में दायर कर अनुतोष प्राप्त करना न्यायिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। लिहाजा मौजूदा अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे।<br><br>वकील अपीलान्ट का जबाब में कहना है कि अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षों को सुना जाकर किया गया है जो कन्टेस्टेड आदेश की श्रेणी में आता है जिसको सुने जाने के अदालत हाजा को बखूबी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली को अदालत हाजा में स्थानान्तरित किये जाने के संदर्भ में पेश किया हुआ है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है इसमें अपीलान्ट की कोई गलती नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज खारिज करते हुये प्रकरण को मैरिट पर ही निर्णित किया जावे।<br><br>हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस यह तथ्य भी स्पष्ट हो चुका है कि जिला कलक्टर करौली द्वारा भी निर्णय दिनांक 21.8.2018 पारित किया जा चुका है जिसकी अपील संख्या 201/18 न्यायालय हाजा में विचारधीन है। इस प्रकार तहसीलदार हिण्डौन के आदेश 4.8.2016 एवं जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 21.8.2018 के विरूद्ध पृथक–पृथक दो प्रकरण क्रमशः अपील संख्या 104/16 शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट तथा अपील संख्या 201/2018 शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विचाराधीन है। राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एवं 76 में अदालत हाजा को बखूबी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उभयपक्षकारान के विवादित बिन्दु यह रहे है कि क्या तहसीलदार के कन्टेस्टेड आदेश की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को है ? क्या एक ही आदेश की अपील दो पृथक–पृथक न्यायालयों में दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है ? न्यायिक प्रावधानों के अंतर्गत न तो एक ही आदेश की अपील दो पृथक–पृथक न्यायालयों में दायर की जा सकती है और ना ही कन्टेस्टेड आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को रहता है। इस प्रकरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.8.2016 की यह अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन है दूसरी ओर जिला कलक्टर करौली द्वारा भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इस प्रकरण में दिनांक 21.8.2018 पारित किया जा चुका है चूंकि समय रहते जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 21.8.2018 की अपील भी 76 एल आर एक्ट के अंतर्गत अदालत हाजा में दायर | |

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील संख्या 104/16**<br>**शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह** | नम्बर व तारीख जब हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|

होकर बाद न्यायिक प्रकिया पूर्ति अन्तिम बहस हेतु नियत है । ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित न किया जाकर केवल तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायिक मंशा के मध्यनजर उचित नहीं रहता है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर केवल टैक्नीकल ग्राउण्ड का सहारा लेकर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं रहता है। अब चूंकि अदालत हाजा के समक्ष परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय की इस प्रकरण में राय स्पष्ट हो चुकी है और दोनों ही अदालतों का सुनवाई क्षेत्राधिकार अन्ततोगत्वा न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है अदालत हाजा के समक्ष अब यह प्रकरण परीक्षण न्यायालय के निर्णय के साथ–साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के साथ भी प्रस्तुत हो चुका है। चूंकि प्रकरण में समान पक्षकार एवं समान विवादित बिन्दु होने से दोनों ही प्रकरणों को पृथक–पृथक न देखा जाकर प्रकरण की मूल न्यायिक भावना को दृष्टिगत रखते हुये हर दो अपीलाधीन आदेशों के खिलाफ 76 एल आर एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत अपील संख्या 201/2018 शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह का गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना ही न्याय संगत रहता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज को पत्रित किया जावे।

इस अपील संख्या 104/2016 को अपील संख्या 201/2018 के साथ समेकित (Consolidate) किया जावे। यह पत्रावली अपील संख्या 201/2018 के साथ सदैव शामिल रहे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर